सं0-43/2016/1157/62-2-2016-2/3(22)/2016

प्रेषक,

रेणुका कुमार,
प्रमुख सचिव,
उ0 प्र0 शासन।

सेवा में,

मुख्य अभियंता,
लघु सिंचाई विभाग
उ0 प्र0 लखनऊ।,

लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल अनुभाग-2 लखनउ- दिनांक- 26 अप्रैल,2016

विषय- चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के अन्तर्गत आयोजनागत पक्ष में अनुदान सं0-83 (एस0सी0एस0पी0) के अधीन डा0 राम मनोहर लोहिया सामूहिक नलकूप योजना हेतु बजट प्राविधान के सापेक्ष प्रथम छः माही हेतु धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में। (राज्य योजना)

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0-जी-386/ल0सिं0/बजट-एस0सी0एस0पी0/टी0एस0पी0/2016-17, दिनांक 07.04.2016 का कृपया संदर्भ् ग्रहण करें।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के अन्तर्गत आयोजनागत पक्ष में अनुदान सं0-83 (एस0सी0एस0पी0) के अधीन डा0 राम मनोहर लोहिया सामूहिक नलकूप योजना (राज्य योजना) में प्राविधानित धनराशि रू0-500.00 लाख के सापेक्ष प्रथम छः माही हेतु धनराशि रू0-250.00 लाख (रूपया दो करोड पचास लाख मात्र) को राज्यपाल महोदय आपके निवर्तन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते है:-

(1) स्वीकृत की जा रही धनराशि चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के अन्तर्गत लघु सिंचाई विभाग में एस0सी0एस0पी0 के अधीन डा0 राम मनोहर लोहिया सामूहिक नलकूप योजना के निर्माण पर व्यय हेतु है।

(2) स्वीकृत की जा रही धनराशि को किसी ऐसे मद पर पर कदापि व्यय न किया जाये, जिसके लिए वित्तीय हस्तपुस्तिका तथा बजट मैनुअल एवं शासन के अस्थाई आदेशों के अन्तर्गत शासन या सक्षम अधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हो, ऐसा व्यय शासन/सक्षम अधिकारी की स्वीकृति व सहमति प्राप्त करने के उपरांत ही किया जाय।

(3) प्रश्नगत योजना के क्रियान्वयन के संबंध में शासनादेश सं0-3938/62-2- 2012-2/2(10)/2012,दिनांक 20.11.2012 एवं शासनादेश सं0-4058/ 62-2-2012-2/2(10)/2012, दिनांक 14.12.2012 में निर्गत विस्तृत दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(4) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण कोषागार से आवश्यकतानुसार ही किश्तों में किया जाय। सी0सी0एल0 प्रणाली के संबंध में वित्त (लेखा) अनुभाग द्वारा समय-समय पर जारी शासनादेशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(5) अवमुक्त धनराशि से किसी भी दशा में अधिका व्यय न किया जाय तथा समस्त व्यय संबंधित शासनादेशों तथा शासन के अस्थाई नियमों में उल्लिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन ही किया जाय।

(6) आपको पुनः स्पष्ट किया जाता है कि अतिरिक्त धनराशि की प्राप्ति की प्रत्याशा में अनाधिकृत एवं अधिक व्यय कदापि न किया जाय तथा व्यय अवमुक्त धनराशि तक ही सीमित रखा जाय। व्यय में की गयी किसी भी अनियमितता के लिए आहरण एवं वितरण अधिकारी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे।

(7) यह व्यक्तिगत रूप से सुनिश्चित कर लिया जाय कि अवमुक्त धनराशि के प्रत्येक बिल पर सही, सम्पूर्ण, मुख्य, लघु, उप एवं विस्तृत लेखा शीर्षक अंकित किया जाय और प्रत्येक बिल के ऊपर दाहिनी ओर लाल स्याही से आयोजनागत शब्द अवश्य लिखा जाय अन्यथा महालेखाकार कार्यालय में सही बुकिंग में बाधा होगी। अवमुक्त धनराशि में यदि किसी संशोधन की आवश्यकता हो तो उसकी सूचना मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई विभाग के माध्यम से शासन को दी जायेगी।

(8) विभिन्न अनुदानों के अन्तर्गत् बजट में प्राविधानित धनराशि का आवंटन एवं आवंटित/वितरित धनराशि के समक्ष किये गये व्यय पर नियंत्रण के संबंध में शासनादेश सं0-बी-1-1195/दस-16/94, दिनांक 06 जून,1994 द्वारा निर्गत निर्देशों का कडाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(9) अवमुक्त धनराशि के समक्ष किए गये व्यय निम्नलिखित समय सारणी के अनुसार निर्धारित रूप पत्रों में मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई विभाग को निश्चित रूप से उपलब्ध करायें जायें।

1-मासिक व्यय विवरण	आगामी माह की 05 तारीख तक
2-प्रारम्भिक व्यायाधिक्य तथा बचत विवरण	15-10-2016 तक
3-व्यायाधिक्य तथा बचट का अंतिम विवरण्	15-12-2016 तक
4-वर्ष 2016-17 के आवंटन का अंतिम लेखा विवरण (पुनर्विनियोग का प्रस्ताव) यदि कोई हो	15-02-2017 तक
5-आवंटन का समर्पण	15-03-2017 तक

नोटः- दिनांक 15-03-2017 के बाद कोई भी समर्पण स्वीकार नही किया जायेगा।

3- तत्संबंधी व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के अन्तर्गत अनुदान सं0-83 के अधीन "लेखा शीर्षक-4702-लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय-आयोजनागत-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-08-डा0 राम मनोहर लोहिया सामूहिक नलकूप योजना-24-वृहत्त निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप सं0-बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक 22.03.2016 तथा बजट प्रकोष्ठ, समाज कल्याण के पत्र सं0-07/26-ब0प्र0-2015, दिनांक 27.03.2015 में प्रदत्त अधिकारों के अन्तर्गत जारी किये जा रहे है।

भवदीय,
ह0/
(रेणुका कुमार)
प्रमुख सचिव।

सं0-43/2016/1157(1)/62-2-2016, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को संलग्नक सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)।/।। उ0 प्र0 इलाहाबाद।
2- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) ।/।। उ0 प्र0 इलाहाबाद।
3- समस्त अधीक्षण अभियंता, लघु सिंचाई वृत्त।
4- संबंधित जिलाधिकारी।
5- संबंधित मुख्य विकास अधिकारी/अतिरिक्त् जिलाधिकारी (विकास)/जिला विकास अधिकारी।
6- संबंधित सहायक अभियंता, लघु सिचाई विभाग।
7- संबंधित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी।
8- नियोजन अनुभाग-3, उ0 प्र0 शासन।
9- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3, उ0 प्र0 शासन।
10- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0 प्र0 शासन।
11- बजट प्रकोष्ठ/कल्याण एवं नियोजन प्रकोष्ठ, समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन।
12- निदेशक, सूचना, उत्तर प्रदेश।
13- एन0आई0सी0 की प्रति।
14- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ह0/
(एस0पी0 सिंह)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।